

**बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी**  
**ग्रामीण विकास विभाग**  
**बिहार, पटना**

**बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर**  
**संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन**

मनरेगा योजना के कार्यान्वयन हेतु पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक लेखा एवं तकनीकी कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निम्नांकित पदों पर उनके सामने अंकित पदों की संख्या के लिए ऑन-लाईन (Online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के website - rdd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदों का नाम, पदों की संख्या एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रम सं०	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	नियुक्ति पदा०	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
1.	पंचायत रोजगार सेवक	4594 (जिलावार रिक्ति संलग्न)	जिला पदाधिकारी	इन्टर पास अथवा समकक्ष योग्यता एवं न्यूनतम तीन (3) माह का कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण पत्र
2.	लेखापाल	142 (जिलावार रिक्ति संलग्न)	वही	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य में स्नातक डिग्री
3.	पंचायत तकनीकी सहायक	87 (जिलावार रिक्ति संलग्न)	वही	बी०एस०सी० (भौतिकी, रसायन, गणित, कृषि, वानिकी एवं अभियंत्रण में डिप्लोमा / डिग्री)

2. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता :-

- आवेदक भारत का नागरिक हो।
- उम्र सीमा - चयन के वर्ष की पहली जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम निम्नलिखित रूप से अनुमान्य होगा :-  
(क) अनारक्षित वर्ग (पुरुष) - 37 वर्ष  
(ख) पिछड़ावर्ग / अत्यन्त पिछड़ावर्ग (पुरुष एवं महिला) - 40 वर्ष  
(ग) अनारक्षित वर्ग (महिला) - 40 वर्ष  
(घ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 42 वर्ष
- विकलांगों को अधिकतम उम्रसीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य होगी।
- पूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में पांच (5) वर्षों की छूट अनुमान्य होगी।
- पंचायत रोजगार सेवक के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से न्यूनतम इंटर पास अथवा समकक्ष योग्यता तथा कम्प्यूटर में न्यूनतम तीन महीने का साक्षरता प्रमाण पत्र
- पंचायत तकनीकी सहायक के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बी०एस०सी० भौतिकी, रसायन, गणित, कृषि, वानिकी एवं अभियंत्रण में।
- लेखापाल : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य में स्नातक डिग्री।

3. मेघा सूची का निर्धारण -

- (क) पंचायत रोजगार सेवक के लिए - इंटर में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत (अतिरिक्त विषय को छोड़कर) के बराबर अंक + निम्नवत् निर्धारित बोनस अंकों को जोड़कर अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त कुल अंकों की गणना की जाएगी ।

इंटर में गणित सहित उत्तीर्ण	-	10 बोनस अंक
स्नातक उत्तीर्ण (गणित सहित)	-	20 बोनस अंक
स्नातक उत्तीर्ण (गणित रहित)	-	10 बोनस अंक
स्नातकोत्तर उत्तीर्ण	-	10 अतिरिक्त बोनस अंक

- (ख) लेखापाल - मैट्रिक, इंटर तथा बी. कॉम में प्राप्त प्रतिशतों का औसत के बराबर अंक + निम्नवत् निर्धारित बोनस अंकों को जोड़कर अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त कुल अंकों की गणना की जाएगी :-

एम0 काम0	-	10 बोनस अंक
सी0 ए0	-	10 बोनस अंक

- (ग) पंचायत तकनीकी सहायक - बी0एस0सी0 में प्राप्त प्रतिशत अंक तथा निम्नवत् निर्धारित बोनस अंकों को जोड़कर अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त कुल अंकों की गणना की जाएगी :-

अभियंत्रण में डिप्लोमा/डिग्री के लिए	-	10 बोनस अंक
असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा के लिए	-	10 अंक
स्नातकोत्तर (एम0एस0सी) के लिए	-	10 बोनस अंक
असैनिक अभियंत्रण में डिग्री के लिए	-	20 अंक

(डिप्लोमा के बाद डिग्री करने पर मात्र डिग्री का बोनस अंक अनुमान्य)

4. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जिला स्तर पर समिति निम्न प्रकार गठित होगी ।

जिला पदाधिकारी-सह- - पदेन अध्यक्ष  
जिला कार्यक्रम समन्वयक

उपविकास आयुक्त-सह- - सदस्य  
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक

अपर समाहर्ता - सदस्य

संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी - सदस्य

जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनु0जाति का एक पदाधिकारी - सदस्य

5. आरक्षण :- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए समय-समय पर निर्धारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे ।

6. एकरारनामा - संविदा पर नियोजन के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं संबंधित ग्रामीण विकास अभिकरण की तरफ से उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के बीच एक एकरारनामा किया जाएगा ।
7. अनुबंध के आधार पर नियोजित उपर्युक्त सभी कर्मियों की कार्य अवधि प्रथम चरण में दो साल की होगी ।
8. सेवा संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में लेखापाल तथा कनीय अभियंता का अनुबंध के आधार पर पुनर्नियोजन संबंधित प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अगले दो साल के लिए किया जा सकेगा ।
9. ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की अनुशंसा पर पंचायत रोजगार सेवक के पद पर नियोजित किसी व्यक्ति को अगले दो साल के लिए पुनर्नियोजन हेतु प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी होंगे ।
10. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।
11. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जाएंगे ।
12. संविदा पर नियोजित कर्मि स्थायीकरण/नियमतीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही वे इसके पात्र होंगे ।
13. संविदा पर नियोजित कर्मियों के विरुद्ध संविदा की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा सम्यक कार्रवाई की जा सकेगी ।
14. संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व :- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत मार्गनिर्देश के आलोक में राज्य सरकार एवं बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करना होगा । संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व क्षेत्र में मनरेगा योजना का सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वयन होगा ।
15. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण जिला-पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक का होगा । परन्तु किसी भी मामले में बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा निर्गत आदेश सर्वमान्य होगा ।
16. चूंकि उक्त योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, अतएव अनुबंध के आधार पर यह सावधिक नियोजन तभी तक मान्य होगा जब तक योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से आवश्यक निधि प्राप्त होती रहेगी ।
17. आवेदन पत्र का प्रारूप ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के Website - rdd.bih.nic.in पर उपलब्ध है तथा आवेदन पत्र Online ही स्वीकार किए जाएंगे ।
18. पैनल निर्माण के समय उपलब्धता / आवश्यकता के अनुसार रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ।
19. Online आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2015 से 07.10.2015 तक Submit किया जा सकता है ।

6/19

सचिव  
5.9.15

ग्रामीण विकास विभाग,  
बिहार

जिलावार रिक्तियों की सूची :-

क्रमांक	जिला	पंचायत तकनीकी सहायक	लेखापाल	पंचायत रोजगार सेवक
1	अररिया	0	1	160
2	अरवल	0	1	53
3	औरंगाबाद	0	6	22
4	बांका	0	7	148
5	बेगुसराय	0	0	209
6	भागलपुर	4	4	168
7	भोजपुर	0	6	217
8	बक्सर	0	2	41
9	दरभंगा	0	4	191
10	गया	0	10	24
11	गोपालगंज	1	4	79
12	जहानाबाद	0	2	3
13	जमुई	0	1	0
14	कैमुर	1	0	0
15	कटिहार	0	0	34
16	किशनगंज	6	4	51
17	खगडिया	2	2	99
18	लखीसराय	6	1	11
19	मधेपुरा	1	0	66
20	मधुबनी	7	1	378
21	मुजफ्फरपुर	4	10	385
22	मुंगेर	2	5	103
23	नालंदा	0	10	83
24	नवादा	0	3	104
25	पटना	0	5	25
26	प० चम्पारण	22	6	296
27	पुर्णिया	0	4	137
28	पूर्वी चम्पारण	1	14	349
29	रोहतास	3	2	148
30	सहरसा	0	0	100
31	समस्तीपुर	6	5	163
32	सारण	1	2	114
33	शेखपुरा	0	0	42
34	शिवहर	1	2	0
35	सीतामढ़ी	14	7	268
36	सिवान	4	7	99
37	सुपौल	0	0	110
38	वैशाली	1	4	114
	<b>कुल</b>	<b>87</b>	<b>142</b>	<b>4594</b>